

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2021 लखनऊ::दिनांक::जनवरी, 21, 2021

--:आदेश::--

गाजियाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा दूरभाष पर गाजियाबाद में माह-जनवरी 2021 में एक अतिरिक्त युगल पीठ गठित किए जाने का अनुरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह-जनवरी 2021 में दिनांक 27.01.2021, 28.01.2021 व 29.01.2021 को सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 गाजियाबाद व पीठ-2 गाजियाबाद की युगल पीठ गठित की जाती है।

तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

ह0/21.01.2021

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन-वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ 178 /2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 गाजियाबाद।
2. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2 गाजियाबाद।
3. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. प्रधान सहायक/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/नाजिर मुख्यालय।
5. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव।

(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ

आदेशांक-वा0क0अधि0/पू0पी0ग0/ 179 /2021 लखनऊ::दिनांक::जनवरी, 21, 2021

--:आदेश::--

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह-फरवरी 2021 में दिनांक 01.02.2021 को पूर्ण पीठ से संबंधित लम्बित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर पूर्ण पीठ गठित की जाती है।

गठित पूर्ण पीठ में मेरे साथ श्री विनय सिंह, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 लखनऊ व श्री राजेश कुमार जैन, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 लखनऊ सम्मिलित होंगे।

तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

ह0/21.01.2021

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन-वा0क0अधि0/पू0पी0ग0/ 179 /2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

6. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 लखनऊ।
7. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2 लखनऊ।
8. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. प्रधान सहायक/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/नाजिर मुख्यालय।
10. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव।

(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।